इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 15 फरवरी 2018—माघ 26, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-39.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-EXIT-ECI-LET-FUNC-JUD-SDR-VOL. I-2018 दिनांक 7 फरवरी 2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली—110001

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2018

अधिसूचना

संख्या 576-एक्जिट-पत्र-व्यवहारिक-विधिक-एस.डी.आर-खण्ड-I-2018.—यत:, मध्यप्रदेश राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन के संबंध में कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 19 जनवरी 2018 की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/5/2018 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और, यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्ज़िट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्ज़िट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा, 24 फरवरी, 2018 (शनिवार) को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 19 जनवरी, 2018, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/5/2018 के द्वारा घोषित **मध्यप्रदेश के 27-कोलारस एवं 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, से** उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ

समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(एन. टी. भूटिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 7th February, 2018

NOTIFICATION

No.576-EXIT-ECI-LET-FUNC-JUD-SDR-VoL. I- 2018.—Whereas, the schedule for the Bye-Election to the Legislative Assembly in the State of madhya Pradesh, have been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/5/2018, dated 19th January, 2018.

2. And, whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) (b) of the said Section, hereby notifies the period between **8.00 A.M.**and **5.30 P. M.** on **24-02-2018 (Saturday),** as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/5/2018, dated 19th January, 2017 from **27-Kolaras and 34-Mungaoli Assembly Constituencies in Madhya Pradesh** shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R. P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By order,
Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.